महत्वपूर्ण

संख्या : 1260 /X-2-2019-12(3)2018

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक : 11 जुलाई, 2019

विषय : दिनांक 17.07.2019 से 16.08.2019 तक हरेला पर्व एवं वन महोत्सव आयोजन के अन्तर्गत वृहद वृक्षारोपण अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वर्ष हरेला पर्व दिनांक 17.07.2019 से 16.08.2019 के मध्य मनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत व्यापक विभागीय एवं जन सहभागिता के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2019–20 में हरेला पर्व एवं वन महोत्सव मनाने हेतु प्रभागवार (छायाप्रति संलग्न) कुल 6.25 लाख पौधे वितरित/रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम/अभियान के सफल संचालन हेतु निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है :–

(1) इस वर्ष हरेला पर्व एवं वन महोत्सव दिनांक 17.07.2019 से 16.08.2019 के मध्य मानाया जायेगा एवं जल शक्ति अभियान के साथ भी जोड़ा जाय।

(2) प्रत्येक जनपद के अन्तर्गत इस पर्व/अभियान के आयोजन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे और उनके द्वारा जनपद स्तरीय सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को लेकर एक आयोजन समिति का गठन अपने स्तर से करते हुए समिति की बैठक अपनी अध्यक्षता में बुलाकर कार्यक्रम की रूप–रेखा तथा विभागों के दायित्व आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) प्रत्येक जनपद के अन्तर्गत इस वर्ष किसी एक नदी/गधेरे के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा चिन्हीकरण किया जायेगा और चिन्हित नदी/गधेरे के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु आवश्यक उपायों पर मंथन करते हुए तत्सम्बन्धी एक कार्य योजना तैयार की जायेगी। कार्य योजना के कार्यों का शुभारम्भ हरेला पर्व की अवधि के दौरान एक वृहद आयोजन करते हुए किया जायेगा और ऐसे आयोजन में जनपद के मा. प्रभारी मंत्री, मा. सांसदगण, मा. विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्य महानुभावों को आमंत्रित किया जायेगा।

(4) हरेला पर्व एवं वन महोत्सव के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों, नदियों के किनारों, विद्यालय परिसरों आदि स्थानों पर विभागीय प्रयासों के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों, विद्यालयी छात्रों, स्थानीय निकायों/संस्थाओं तथा जनमानस की सहभागिता से वृहद वृक्षारोपण किया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रभागीय वनाधिकारी हरेला पर्व एवं वन महोत्सव के अवसर पर निःशुल्क पौध की व्यवस्था करने हेतु नोडल अधिकारी होंगे। स्थानीय निकायों/संस्थाओं, विद्यालयों, जनप्रतिनिधियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को निःशुल्क पौध वितरण की अधिकतम सीमा जनपद स्तरीय समिति द्वारा जनपद में पौध की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जायेगी।

......2

(5) हरेला पर्व एवं वन महोत्सव के अन्तर्गत मुख्य रूप से फल एवं चारा प्रजाति के पौधों को रोपित किया जायेगा और इनकी सुरक्षा हेतु पुख्ता व्यवस्था की जायेगी।

(6) हरेला पर्व एवं वन महोत्सव के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वृहद प्रचार–प्रसार सभी संभव माध्यमों से किया जायेगा ताकि आम जनमानस में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण–संवर्द्धन हेतु जन जागरूकता का संचार हो सके और आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जा सके।

(7) चूँकि जल शक्ति अभियान, 'नदियों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन' ध्येय के अन्तर्गत वृक्षारोपण के साथ–साथ स्वच्छता, सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रवाह की निरन्तरता आदि अन्य अनेक अवयवों पर भी कार्य करना होगा, अतः जनपद स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न विभागों यथा, वन विभाग, जलागम, आईफेड, जायका, वन विकास निगम, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई, पेयजल, नगर विकास, पर्यटन एवं विद्यालयी शिक्षा आदि विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों के साथ भी युगपितीकरण (Convergence) के कार्य कराये जायेंगे।

2. कृपया उक्त कार्यक्रम की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब जनपद स्तरीय समिति का गठन करते हुए अपनी अध्यक्षता में समिति की बैठक कर कार्यक्रम की रूप–रेखा निरूपित कर लें और नियमित अनुश्रवण के माध्यम से कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या : /X-2-2019-12(3)2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा० वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, समस्त मा० मंत्रीगणों को मा० मंत्रीगण के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।